// कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर (म0प्र0) //

-:: निविदा की शर्ते ::-

1. वित्तीय वर्ष 2026--27 के लिए जेल उद्योग में लगने वाले कच्चे माल/सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) एवं जेल उद्योग (सिद्ध दोष व्यक्तियों का नियोजन) नियम 2021 के अंतर्गत निविदाएं एम. पी. ई–टेंडरिंग के माध्यम से की जायेगी ।
2. निविदा संबंधी सम्पूर्ण जानकारी जेल विभाग की वेबसाइट **www.mptender.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क रू. 1000/– विभाग के प्राप्ति शीर्ष 0056 जेलें 800 अन्य प्राप्तियों में ऑन लाइन जमा करना होगा ।
3. निविदाएं खण्डवार ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि पृथक–पृथक खण्डानुसार **www.mptender.gov.in** पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी ।
4. वार्षिक तृतीय ई–निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30/06/2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृति होने तक जो प्रथम हो, वैद्य रहेंगे ।
5. निविदाऐं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जायेगी। तिथि परिवर्तन की सूचना **www.mptender.gov.in** पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को पृथक से सूचित किया जायेगा ।

खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत बयाने की राशि
1. काष्ठ कलॉ, लौह कलॉ एवं प्रिंटिंग प्रेस	7 लाख	21,000 /-
2. पावरलूम, सिलाई एवं बुनाई/कंबललूम	10 लाख	30,000 /-
3. बेकरी यूनिट एवं कृषि बागवानी	3 लाख	9,000/-
कुल योग :–	**20 लाख**	**60,000/-**

6. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा--10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक--05/वारंट--3/भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान अधिनियम की धारा 03(1) के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) मे पृथक–पृथक 200--200 रूपये के नॉन--ज्यूडिशियल स्टाम्प/ऑनलाइन (मध्यप्रदेश) अधिनियम 1914 की अनुसूची 01--क, के अनुच्छेद क्र मांक 45 के अनुसार पब्लिक नोटरी द्वारा मूल प्रति में 50--50 रूपये की नोट्रियल टिकिट लगाकर नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। शपथ पत्र के आभव में निविदा मान्य नही होगी। शपथ –पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :–

शपथ पत्र -- अ

(कारागार अधिनियम --1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मै..जो केन्द्रीय जेल/जिला/सब जेल.. के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म...की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म .... के मालिक/भागीदार अथवा

कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल के विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं है ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र -- ब

(जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक--05 / वारंट--03 ब0मृ0 / 2015 भोपाल,दिनांक28 / 01 / 2015)
मै...जो केन्द्रीय जेल / जिला / सब जेल.......................................
........के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म...
.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..के मालिक / भागीदार किसी भी प्रकरण में जमानत पर रिहा नहीं है ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

7. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेजों ऑनलाईन पोर्टल **www.mptender.gov.in** पर अपलोड कराएं जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किये जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूल प्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक / जॉच करेगें। निविदाकार द्वारा प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत्त निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) खोले जायेगें :--

तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :--

i. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति।
ii. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकरण का वैद्य प्रमाण--पत्र।
iii. जी.एस.टी पंजीयन एवं निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि से पिछली तीन माह का जी.एस.टी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी रिटर्न।
iv. विगत 03 वर्ष आयकर रिटर्न प्रमाण--पत्र।
v. शपथ पत्र (अ) एवं (ब)
vi. वस्तुओं के व्यापार संम्बधी नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद का वैद्य व्यवसाय लायसेंस इन संस्थाओं द्वारा वैद्य लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
vii. मान्यता प्राप्त संस्थान से सूत--ऊन की लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट एवं भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत वैद्य लाईसेंस (FSSAI) ।
viii. निविदा में उल्लेखित सामग्री के आवश्यक आपेक्षित नमुने ओर नमूनों से संबंधित पत्र तथा आपेक्षित मात्रा में नमुने ।

ix. वस्तुओं के ब्रांड से संबधित पत्र (ISO, ISI Certificate) ।

8. निविदा के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाए जातें हैं तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरूद्ध वैधानिक/कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

9. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत प्रदाय आदेश जारी होने पर अनुबंध पत्र (करारनामा) के साथ सामग्री के कुल मूल्य का 03 प्रतिशत राशि की निषादन प्रतिभूति की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर के रूप में जेल अधीक्षक के नाम से जिसकी अवधि निष्पादन, प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैद्य होना चाहिये ।

10. निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगी ।

11. प्रत्येक सामग्री के डिलेवरी का एफ.ओ.आर प्रदेश की संबंधित जेल के गेट पर होगी, जिसका उल्लेख क्रय आदेश में किया जावेगा ।

12. निविदा प्रस्तुत करने वाले संस्थान की निविदा प्रपत्र पर फर्म की सील एंव फर्म का पूरा पता एवं विवरण अंकित होना चाहिये ।

13. कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक जेल सुधारात्मक सेवांए, मध्यप्रदेश भोपाल को होगा, सबसे कम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिए महानिदेशक जेल सुधारात्मक सेवांए, मध्यप्रदेश भोपाल बाध्य नही होगें, न ही इस संबंध मे पत्राचार स्वीकार किया जायेगा। सशर्त निविदा मान्य नही की जावेगी ।

14. निविदा महानिदेशक जेल सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी । क्रय समिति के निर्णय के पूर्व निविदा वापस लेने पर प्रतिभूति राशि राजसात कर दी जावेगी ।

15. निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति जारी होने के 07 दिवस के अंदर रूपये 500 के नॉन – ज्युडिशियल स्टांप पर विधिवत रूप से अनुबंध जेल अधीक्षक वास्तें महानिदेशक जेल सुधारात्मक सेवांए, मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में तैयार कराया जाकर हस्ताक्षर/पदमुद्रा सहित दो प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराना होगा।

16. प्रतिभूति राशि निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही वापस की जायेगी।

17. सफल निविदाकार को सामग्री प्रदाय अनुबंध के अनुसार आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेट के आधार पर जेल गेट पर करना होगा। इसके लिऐ कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नही होगा। समय पर सामग्री की प्रदायगी न करने की स्थिति में खुले बाजार से सामग्री का क्रय किया जायेगा तथा खुले बाजार से सामग्री क्रय करने पर स्वीकृति न्यूनतम दर से यदि अधिक दर बाजार से सामग्री क्रय करने पर आयेगी तो अंतर की राशि प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि से अथवा भुगतान किये जाने वाले देयकों से वसूल की जावेगी।

18. निविदा मे दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पडने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है । सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में

सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री निर्धारित मापदंड अनुसार न होने पर स्वीकार नही की जायेगी । अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा । प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित टेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू--राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

19. कच्चे माल की प्रदायगी स्वीकृत ट्रेड्मार्क ब्राण्ड अथवा नमूने के अनुसार की जायेगी। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नही की जाएगी। अस्वीकृत सामग्री निविदाकार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर स्वीकृत ट्रेड्मार्क ब्राण्ड अथवा नमूनो के अनुसार सामग्री प्रदाय करना होगा प्रदान न करने पर अस्वीकृत किया गया कच्चा माल/सामग्री व्यापारी को जेल गेट से स्वंय के व्यय पर निर्धारित समय में वापस ले जाना होगा, अन्यथा वस्तुओं की नीलामी कर दी जायेगी। नीलामी से प्राप्त राशि में से नीलामी का खर्च काट कर शेष राशि व्यापारी को वापस कर दी जायेगी।

20. यदि निविदाकार निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नही करते है तथा अवधि में विस्तार के लिये अनुरोध भी नहीं करते है तो क्रयादेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा तथा उसका नाम काली सूची में (Black List) में एक निश्चित अवधि के लिये दर्ज किया जायेगा। उक्त अवधि में विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदाय आदेश (इंडेन्ट) नही दिये जायेगें।

21. समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने की दशा में तर्कसंगत कारण होने पर प्रदायावधि केवल एक बार ही बढ़ाई जा सकती है। विस्तारित अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली सामग्री का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी अधिरोपित की जायेगी । पेनाल्टी की गणना हेतु सामग्री का प्रदाय टुकडो (किश्तों) में स्वीकार नही किया जायेगा। क्रय आदेश में उल्लेखित सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त होने की तिथि को ही सामग्री प्राप्ति की दिनांक माना जाकर पेनाल्टी गणना की जायेगी। पेनाल्टी की गणना मूल कीमत पर की जायेगी इसमें टैक्स शामिल नही किया जायेगा।

22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर एवं Email Id पर उपलब्ध कराना होगा, निविदा को प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटरपेड पर मोबाइल नम्बर Emai Id में से कोई 01 भी अंकित किया है, तो उसे मान्य किया जायेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

23. प्रदाय किये जाने वाले कच्चे माल जैसे कि सूत, सोडीयार्न आदि का मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी से परीक्षण कराया जायेगा, स्पेसिफिकेशन के अनुसार सूत, सोडीयार्न आदि पाये जाने पर ही निविदाकार को देयक की राशि का भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

24. निविदा में प्रस्तुत की गई दर समस्त करों सहित होगी। दरें अंको एव शब्दों में दर्ज की जायेगी।

25. यदि निविदाकार द्वारा प्रदाय कि जाने वाली सामग्री दिये गये स्पेसिफिकेशन से उच्च गुणवत्ता/अतिरिक्त फीचर्स की है, तो इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख स्पेसिफिकेशन सीट में संलग्न किया जाये।

26. सामग्री गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के अनुरूप की पाये जाने पर ई--पेमेंट भुगतान किया

जायेगा। शासकीय भुगतान में किन्ही कारणो से भुगतान विलम्ब होता है तो विलम्ब के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा तथा किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार जी. एस. टी. एवं प्रावधानित करों की कटौत्रा कर दिया जायेगा।

27. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जायेगी।

28. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगें।

29. निविदाकार को निविदा की सभी निविदा शर्तें मान्य हैं, के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र रूपये 100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर प्रस्तुत करना होगा।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर (म0प्र0)

Signature Not Verified

Digitally signed by ASHISH KUMAR KHARE
Date: 2026.05.12 12:24:20 IST
Location: Madhya Pradesh-MP